अध्याय V : नागरिक विमानन मंत्रालय

बैंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, बैंगलौर (बीआईएएल)

5.1 न्यासीय कर्तव्य की विफलता के कारण बकाया राशियों की संदिग्ध वसूली

मंत्रालय यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि बीआईएएल एयरलाईनों से सुरक्षा शुल्क की शीघ्र वसूली करने के अपने न्यासीय कर्तव्य को पूरा करें और इसे निलम्बलेख लेखा में जमा करे। परिणामत: एयरलाईनों के प्रति बकाया राशियां संचित हो गई तथा किंगफिशर एयरलाईन्स के ₹9.19 करोड की वसूली संदिग्ध हो गई।

नागरिक विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने बैंगलौर अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के विकास, निर्माण, परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु बैंगलौर इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएस) के साथ एक रियायत करार पर हस्ताक्षर किए (5 जुलाई 2004)। करार के अनुच्छेद 8.5.1 में प्रत्येक प्रस्थान करने वाले यात्री से विमानपत्तन नियमावली, 1937 की शर्तों के अनुसार सुरक्षा शुल्क के उद्ग्रहण का प्रावधान था। एमओसीए द्वारा जारी (19 जनवरी 2009) मानक परिचालन पद्धति (एसओपी) की शर्तों के अनुसार, यात्री सेवा शुल्क (सुरक्षा संघटक) (पीएसएफ(एससी)) के रूप में परिभाषित, यह सुरक्षा शुल्क, एयरलाईनों के माध्यम से बीआईएएल द्वारा एकत्र किया जाता है। इसके बदले बीआईएएल से पीएसएफ (एससी) हेतु संबंधित एयरलाईनों से बिल तैयार किया जाना अपेक्षित है। एसओपी की बीआईएएल से अपेक्षा होती है कि वह नियमित रूप से एयरलाईनों से राशियों की उगाही सुनिश्चित करें। बीआईएएल से भी अपेक्षित है कि वह एमओसीए को लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं की प्रतियां भेजे।

तथापि, बीआईएएल न्यासीय उत्तरदायित्व निभाने में विफल रहा जिससे एयरलाईने राशि इकट्ठी करती रहीं। 31 मार्च 2014 तक, एयरलाईनों से बकाया राशि ₹16.77 करोड़ थी जिसमें से ₹9.64 करोड़ एक वर्ष से अधिक की अवधि से बकाया थी। बकाया राशि और भी बढ गई तथा 31 मार्च 2016 को यह ₹17.44 करोड थी जिसमें से ₹10.12 करोड एक वर्ष की अवधि से बकाया थे।

इसमें से ₹9.19 करोड 2012-13 से किंगफिशर एयरलाईन्स से बकाया थे। किंगफिशर एयरलाईन्स ने सितम्बर 2012 में काम बन्द कर दिया।

यद्यपि एमओसीए को बीआईएएल से आवधिक लेखे प्राप्त हुए थे तथा करार के अनुच्छेद 13.3 में भारत सरकार से अनुरोध के इक्कीस दिनों के अन्दर बीआईएएल द्वारा राशि के भुगतान की मांग करते हुए "बीआईएएल चूक स्थिति" के परिणामों के लिए प्रावधान था, तथापि, एमओसीए ने बीआईएएल को कभी भी बकाया राशि एकत्र करने और उसे निलम्ब लेख लेखा में जमा कराने का निर्देश नहीं दिया। एसओपी ने भी समय पर एयरलाईनों द्वारा राशि का भुगतान ने करने के लिए शास्तिक ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान नहीं किया। ऐसी शर्त के अभाव में, राशियों की वसूली न करने से किंगफिशर एयरलाइन के पास एक ब्याज-मुक्त ऋण संघटित हो गया।

लेखापरीक्षा में मामला उठाए जाने पर (फरवरी 2014), बीआईएएल ने किंगफिशर एयरलाईन्स से वसूल की जाने वाली राशि बट्टे खाते में डालने के लिए एमओसीए का अनुमोदन मांगा (मार्च 2014)। बीआईएएल का प्रस्ताव तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इससे दोषी को एक अनुचित लाभ होगा तथा अपना न्यासीय उत्तरदायित्व पूरा करने में बीआईएएल की विफलता की भी अनदेखी होगी।

इस प्रकार, मंत्रालय यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि बीआईएएल एयरलाईनों से सुरक्षा शुल्क की तत्काल वसूली करे और उसे निलम्बलेख लेखा में जमा कराने का अपना न्यासीय कार्य पूरा करे। परिणामत:, एयरलाईनों के प्रति बकाया राशि संचित हो गई तथा किंगफिशर एयरलाईन्स से ₹9.19 करोड की वसूली संदिग्ध हो गई।

मामला मंत्रालय को अप्रैल 2016 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।